(1)

कार्यालय अंचल अधिकारी, सतगावां

विविध वाद अभिलेख सं0 02 / 2017–18

13/9/17 आवेदक श्री मंगर महतो, पिता–स्व0 बन्धू महतो व गोविन्द महतो, पिता–स्व0 ढालो महतो, ग्राम–अम्बाबाद (डगहवातरी) पोस्ट–नन्दुडीह, थाना–सतगावां, जिला– कोडरमा से भूमि विवाद संबंधी प्राप्त आवेदन का अवलोकन किया। मौजा–अम्बाबाद, खाता नं0–94, प्लॉट नं0–1084, रकवा–0.76 एकड़ भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। दोनो पक्षों को मूल कागजात एवं अद्यतन लगान रसीद जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 19/9/17 को उपस्थापित करें।

13.09.17

अंचल अधिकारी
सतगावां।

19/9/17 अभिलेख उपस्थापित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 05/10/17 को उपस्थापित करें।

19.09.17

अंचल अधिकारी
सतगावां

06/10/17 अभिलेख उपस्थापित। पीठासीन पदा० निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 18.10.17 को रखें।

06.10.17
अंचल अधिकारी
सतगावां

18.10.17 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी के जिला बैठक में रहने के कारण दिनांक 24.10.17 को अभिलेख पुनः उपस्थापित करें।

18.10.17
अंचल अधिकारी
सतगावां

24.10.17 अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी / प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मे माँगा गई। अभिलेख दिनांक 10/11/17 को रखें।

24.10.17

अंचल अधिकारी
सतगावाँ

10/11/17 अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी / प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक 24/11/17 को उपस्थापित करें।

10.11.17

अंचल अधिकारी
सतगावाँ

24/11/17 अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी / प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अभिलेख दिनांक 15/12/17 को उपस्थापित करें।

24.11.17

अंचल अधिकारी
सतगावाँ

15.12.17 यह वाद अनुमण्डल न्यायालय में चल रहा है अतः इस न्यायालय में चल रहे वाद को समाप्त की जाती है।

15.12.17

अंचल अधिकारी
सतगावाँ

विविधवाद अभि० सं० 02/17-18

(2)

15/12/17 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तमिला प्रतिवेदन प्राप्त। दोनों पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित आवेदन दिया है जो अभिलेख में संलग्न है कि खाता नं0 94 प्लॉट नं0 1084 कुल रकवा 1.85 ए0 भूमि है। जमीन मुषन महतों, लटु महतो, एवं दुखन महतो के नाम से खतियानी जमीन है। हमलोग को पूर्वज से लेकर आजतक दखल कब्जा एवं घर बनाकर रह रहें है। मालगुजारी नही देने से भूमि बकास्त हो गया। जमीनदार से रकवा 1.01 ए0जमीन वजीरए हुकुमनामा से लटु एवं दुखन महतो के नाम से हासिल है। शेष 0.76 ए0 भूमि हमलोग के दखल कब्जा में है। बकास्त हो जाने के समय से वर्ष 1954 से मालगुजारी देते आ रहे है। बौनी महतो से बदलनामा जमीन था वो हमलोग का ही जमीन था। बौनी महतो, उमेष महतों, विसुन महतो वो मंगर महतों अनपढ था। खाता नं0 94 प्लॉट नं0 1084 रकवा 0.76 ए0 भूमि मेरे जमीन हमसे ही बदल कर रजिस्ट्री करा लिया जो कोडरमा जाकर दिनांक 13.09.1989 को केंसिलनामा सं0 7586 /7588 से केंसिलनामा लिखा लिया है। द्वितीय पक्ष के पास किसी तरह का रसीद प्राप्त नही है।

द्वितिय पक्ष के द्वारा भी लिखित आवेदन दियाा है जो अभिलेख में संलग्न है कि खाता नं0 94 प्लॉट नं0 1084 रकवा 0.76 ए0 भूमि केवाला में खाता नं0 35,37 एवं रैयती है। लेकिन मंगर महतो,पिता–स्व0 बन्धु महतो वो गोविन्द महतो पिता–ढालो महतो वगै0 हमारे कब्जे भूमि जो मेरे परदादा विसु महतो के नाम से केवाला हासिल है जो बन्दोबस्ती बनाकर जबरन कब्जा करना चाहता है।

दोनो पक्षो के द्वारा प्रस्तुत कागजात के आधार पर हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा अम्बाबाद थाना नं0 143 के खाता नं0 94 का राजस्व कागजात से मिलान किया जो खाता नं0 94 प्लॉट नं0 1084 रकवा 1.85 ए0 है। उक्त खाता बकास्त रैयती है। जो मौजा अम्बाबाद के पंजी– II के पृष्ठ सं0 156/2 पर विसुन महतों, मंगर महतो वगै0 नाम से रकवा 0.76 ए0 भूमि का जमावन्दी दर्ज है। पंजी जीर्ण–शिर्ण अवस्था में है। आवेदक द्वारा लगान निर्धारण का छया प्रति संलग्न किया है जो पर्चा 1981–82 का है, जिसमें राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर नही है। उक्त भूमि का केवाला सं0 7588 दिनांक 13.09.89 एवं केवाला सं0 7587 दिनांक 13.07.89 खाता नं0 94 के प्लॉट नं0 1084रकवा 0.22½ एवं 0.38 ए0 कुल रकवा 0.60½ ए0 अन्य खाते प्लॉट का बदलैननामा विक्रेता बौनी महतो पिता–विशु महतो से गोविन्द महतो वो मंगर महतो से किया है। उक्त बदलैननामा भूमि को विक्रेता बौनी महतो जमीन्दार खतियानी रैयत किसुन महतो से केवाला सं0 19645 दिनांक 11.10. 68 को बौनी महतो पिता–विसु महतो खरीदगी किये है जो बदलैननामा केवाला में दर्ज है। उक्त भूमि को आवेदक मंगर महतो वगै0 ने केंन्सिलनामा 3245 दिनांक 12.04.90 एवं 3248 दिनांक 12.04.90 को केन्सिलनामा करायें है। स्थल जांच के कम में पाया कि केता एवं विक्रेता बदलैननामा भूमि पर दोनो पक्ष अभी तक दखल कब्जे में है। भूमि रैयती बकास्त खाते की है।

अतः हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजात के आधार पर भूमि रैयती बकास्त खाते की है जिसका जमावन्दी आवेदक के नाम से से कायम है। भूमि का विवाद बदलैननामा के कारण हुआ था जो बदलैननामा केवाला कैन्सिल भी कराया गया, जिसका मामला अनुमण्डल दण्डाधिकारी कोडरमा में चल रहा है।

तत्पश्चात् समयक् विचारोपरान्त अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

15.12.17

अंचल अधिकारी,
सतगावां

15.12.17

अंचल अधिकारी,
सतगावां